जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक एफ/अकादमी/सभा/2018/539 दिनांक 15.02.2018

प्रति

विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष/
अधिकारी/समन्वयक/अनु.अधिकारी/अधीक्षक,
समस्त विभाग/अध्ययनशालायें,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

स्मरण-पत्र

विषयः- कार्यपरिषद् की बैठकों/विशेष बैठकों दिनांक 15.05.2017, 27.05.2017, 13.06.2017, 05.08.2017 एवं 21.11.2017 में लिये गये निर्णयों पर आपके विभाग/अध्ययनशाला द्वारा की गई कार्यवाही का पूर्ण ब्यौरा भेजने बाबत्।

संदर्भः- पत्र क्रमांक एफ/अकादमी/सभा/2017/528 दिनांक 22.12.2017

महोदय/महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि, कार्यपरिषद् के निर्देशानुसार उक्त बैठकों के कार्यविवरणों में आपके विभाग/अध्ययनशाला से सम्बन्धित पदों/विषयों पर लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही की जानकारी (पालन-प्रतिवेदन) संलग्न फार्मेट अनुसार पत्र जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से अकादमी विभाग (सभा शाखा) में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु आज दिनांक तक जानकारी इस कार्यालय में अप्राप्त है।

उक्त जानकारी आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत की जानी है। अतः पालन-प्रतिवेदन शीघ्र ही इस कार्यालय की ओर भेजने की व्यवस्था करें। जानकारी प्राप्त न होने की दशा में संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित का होगा।

आपकी सुविधा हेतु इस पत्र के साथ (फार्मेट) सूची संलग्न की जा रही है जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि, आपके विभाग द्वारा किन-किन विषयों/पदों पर कार्यवाही की जानी है।

भ व दी य

संलग्न - उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. पत्रावली हेतु।

उप-कुलसचिव(अकादमी)

@/-

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

//कार्यपरिषद् की बैठकों दिनांक 15.05.2017 से 21.11.2017 तक का पालन–प्रतिवेदन//

(EC Action-Taken Report)

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक एवं निर्णय अनुक्रमांक /पद	विभाग का नाम	प्रदत्त प्रशासकीय / वित्तिय स्वीकृति का संक्षिप्त विवरण एवं स्वीकृत राशि	प्रदत्त स्वीकृत के विरूद्ध व्यय की गई राशि	लिये गए प्रशासकीय निर्णय का संक्षिप्त विवरण	संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	कार्य में यदि विलंब हुआ तो कारण स्पष्ट किया जावे	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.05.2017 की स्थगित दिनांक 15.05. 2017	--	--	--	--	--	--	--
01	गोपनीय	--		पद क्रमांक–10 जो कि, परीक्षा कार्य हेतु अनुबंध किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा एक समिति का गठन किया गया था (आदेश दिनांक 27.04.2017) जिसके परिपालन में प्राप्त प्रतिवेदन और अधिक स्पष्ट एवं विस्तृत रूप में प्रस्तुत करने के लिये निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :– 1. प्रो. आर.जे. राव, अध्यक्ष 2. प्रो. डी.डी. अग्रवाल 3. प्रो. नलिनी श्रीवास्तव 4. वित्त नियंत्रक 5. परीक्षा नियंत्रक चूंकि, विश्वविद्यालय का परीक्षा कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसी स्थिति में इस कार्य को रोका जाना संभव नहीं होने के कारण आगामी छः माह के लिये अनुबंध की शर्तों के अनुरूप समयावधि में वृद्धि की जाती है तथा संबंधित ऐजेंसी द्वारा की गई अनियमितताओं एवं शिथिलता के विरूद्ध शो–कोज नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।			
10	पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध	जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की विभिन्न अध्ययनशालाओं में वर्ष 2017–18 में विदेशी छात्रों/एन.आर.आई. छात्रों से प्रवेश के समय ली जाने वाली शुल्क तथा जीवाजी विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रवेश के समय किये जाने वाले आरक्षण का प्रावधान करने हेतु विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
20(अ–अ–1)	प्रशासन/ लेखा	कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2010 के पद क्रमांक 11 पर लिये गये निर्णयानुसार अधिकारी/कर्मचारियों को वर्ष 2010 के द्वारा		विश्वविद्यालय अधिकारी/कर्मचारियों को प्रदान किये जाने वाले श्रमसाध्य भत्ते की राशि में बढ़ोत्तरी संबंधी प्रस्ताव स्थगित किया जाता है तथा प्रकरण समन्वय 'समिति द्वारा' लिये गये निर्णय/नियम के साथ प्रस्तुत किया			

		प्रदान किये जा रहे श्रमसाध्य भत्ते को बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जा रहे श्रमसाध्य भत्ते के समान बढ़ाकर प्रदान किये जाने पर विचार किया गया।		जावे।			
20(अ-अ-7)	विधिक विभाग	श्री डी.पी. सिंह, सदस्य कार्यपरिषद् द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि, वर्तमान में प्रचलित अधिवक्ताओं के पैनल को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिये तथा नवीन पैनल का गठन किया जाना चाहिय पर विचार किया गया।		श्री डी.पी. सिंह सदस्य कार्यपरिषद् द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार वर्तमान में मान्य अभिभाषकों के पैनल को भंग किया जावे। साथ ही श्री डी.पी. सिह सदस्य कार्यपरिषद् के सहयोग से नवीन अधिवक्ता पैनल का गठन किया जावे तथा दिनांक 30 एवं 31.05. 2017 को एक लोक अदालत आयोजित की जावे। जिसमें उन सभी अभिभाषकों को उन्हें आबंटित प्रकरणों के साथ आमंत्रित किया जावे तथा प्रकरणों की समीक्षा के उपरांत संबंधित अभिभाषकों को प्रकरणों का आबंटन किया जावे।			
20(अ-अ-14)	विधिक / परीक्षा/ गोपनीय	कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 के पद क्रमांक-3 के निर्णयानुसार मनोदीप हायर ऐज्यूकेशन सोसायटी, ग्वालियर हेतु एम.एड. पाठ्यक्रम की परीक्षा संबंधी रिव्यू पिटिशन हेतु विचार किया गया।		उक्त प्रकरण में कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित नवीन अधिवक्ताओं के पैनल से रिव्यू पिटिशन फाईल करने हेतु 15 दिवस का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
27 मई, 2017	--	--	--	--	--	--	--
03(अ-अ-2)	सी.आई. एफ. विभाग	CIF विभाग के लिये माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.11. 2016 के पद क्रमांक 19 पर विभिन्न उपकरण क्रय करने के लिये दी गई प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर क्रय प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष में पूर्ण करने की स्वीकृति पर विचार किया गया।		प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
05.08.2017	--	--	--	--	--	--	--
01	गेपनीय /स्टोर			कार्यपरिषद की दिनांक 12 मई, 2017 की स्थगित बैठक दिनांक 15 मई, 2017 की पुष्टि निम्नलिख़ित के साथ की जाती है :- पद क्रमांक-01 पर लिये गये निर्णयानुसार प्रकरण में समिति का गठन किया गया था। गठित समिति द्वारा यह पाया गया कि, आई.टी.आई. बैंगलौर द्वारा परीक्षा कार्य कराने हेतु राशि लगभग तीन करोड रूपये से अधिक होने के कारण समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि, इस कार्य को निविदा के आधार पर आबंटन करना उपयुक्त होगा। तद्नुसार कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विश्वविद्यालय द्वारा निविदा आमंत्रित की जा चुकी है एवं निविदा प्रक्रियारत होने के कारण की गई कार्यवाही का अनुमोदन 31 जुलाई, 2017 के			

				कार्यपरिषद् की कार्यसूची क्रमांक 08 पर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया है। तकनीकि समिति के आंकलन के उपरांत चयनित फर्मो का पूर्व में गठित समिति द्वारा ऐसेसमेंट किये जाने के उपरांत ही उनके फायनेन्सिल बिड खोले जावें। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि, पूर्ववर्ती ऐजेंसी की कार्य अवधि समाप्त होने के पूर्व जारी की गई निविदा शर्तो के अनुरूप चयनित फर्म से अनुबंध निष्पादित कर लिया जावे।			
	विकास /लेखा			पद क्रमांक-15 जो कि, प्रो. एस. के. द्विवेदी के विदेश यात्रा सम्बन्धि है पर पुनः निर्णय लिया गया कि, प्रो. एस.के. द्विवेदी के विदेश यात्रा में होने वाला व्यय विश्वविद्यालय बजट के 10(11)मद से किये जाने हेतु गठित समिति के विचारार्थ प्रस्तुत कर अनुशंसा प्राप्त की जावे।			
02	सम्बद्धता	स्थायी समिति की विशेष बैठक दिनांक 09 मई, 2017 (सांय 05:30 बजे) एवं दिनांक 25 मई, 2017 (सायं 05:00 बजे) तथा दिनांक 16 जून, 2017 (अपरान्ह 03:00 बजे) के कार्यविवरणों का अनुमोदन करने पर विचार किया गया।		प्रस्तावानुसार स्थायी समितियों के कार्यविवरणों का अनुमोदन किया जाता है।			
08	परीक्षा/ गोपनीय	विश्वविद्यालय के प्री एवं पोस्ट परीक्षा एवं गोपनीय कार्य हेतु निविदा आमंत्रित करने पर विचार किया गया।		पद क्रमांक-01 पर लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु मान्य किया जाता है			
09	परीक्षा/ गोपनीय	विश्वविद्यालय के प्री एवं पोस्ट परीक्षा कार्य हेतु एल.एस.पी.एल. प्रायवेट लिमिटेड, कोलकाता के भुगतान रू. राशि 16,83,330/- अनुमोदन पर विचार किया गया।		अतः छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुये सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लिया गया कि, कार्यसूची में प्रस्तावित राशि रूपये 16,83,320/- का भुगतान किया जावे। शेष भुगतान कार्यपरिषद् द्वारा जॉंच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत लिये गये निर्णय के परिप्रक्ष्य में यदि कोई कटोत्रा अथवा शास्ति अधिरोपित की जानी है तो तत्संबंधी सहमति ऐजेंसी से प्राप्त होने के उपरांत ही किया जावे।			
10	स्टोर	मै. के.सी. प्रिंटिंग एण्ड एलाइड वर्क्स, मथुरा से ओ.एम.आर. उत्तरपुस्तिका मान्य दरों पर क्रय करने पर विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार रूपये 74,88,000/- की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
15	विकास	वनस्पतिकी अध्ययनशाला के सेवानिवृत शिक्षक प्रो. के.के. कौल के पत्रानुसार माननीय कुलपति महोदया द्वारा कमेटी का गठन किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
17	प्रशासन	प्रो. आर.जे. राव, कुलाधिसचिव से प्राप्त		प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में सूचना ग्रहण की जाती है।			

		पत्र दिनांक 19 जुलाई, 2017 पर विचार किया गया।					
21	ई–गवर्निंग सैल	विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं एवं विश्वविद्यालय परिसर में एवं कुछ परीक्षा भवन के नवीन स्थानों पर सी. सी.टी.व्ही. कैमरे लगाये जाने पर विचार किया गया।		प्रकरण में ओपन टेण्डर/खुली निविदा प्रक्रिया अपनाये जाने के साथ प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
23	शारीरिक शिक्षा अ. शा.	जीवाजी विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2017–18 में विभिन्न खेल विधाओं को आयोजित करने वाले महाविद्यालयों को दी जाने वाली सब्सिडी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
24	शारीरिक शिक्षा अ. शा.	जीवाजी विश्वविद्यालय के विभिन्न दलों के खिलाड़ियों को पश्चिम क्षेत्रीय एवं अखिल भारतीय अर्न्तक्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु होने वाले अनुमानित व्यय की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
25	शारीरिक शिक्षा अ. शा.	जीवाजी विश्वविद्यालय के विभिन्न दलों के खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर (कोचिंग कैम्प) पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
26	शारीरिक शिक्षा अ. शा.	शारीरिक शिक्षा विभाग में सत्र 2017–18 में अखिल भारतीय, अखिल भारतीय अर्न्तक्षेत्रीय, पश्चिम क्षेत्रीय, जिला, संभाग एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के दलों के खेलने जाने से पूर्व दलों पर होने वाले यात्रा व्यय, गणवेश राशि आदि के भुगतान हेतु रूपये 5,00,000/– (पॉच लाख) के अग्रिम धन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
27	शारीरिक शिक्षा अ. शा.	विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों की प्राईज मनी रूपये 500/– के स्थान पर रूपये		प्रस्ताव अनुसार प्राईज मनी 1,000/– रूपये एवं प्रति सेमेस्टर परीक्षा. शुल्क 500/– बंद किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान			

		1,000/– करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने एवं खिलाड़ियों को रूपये 500/– प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क के रूप में मिलने वाली छूट को बंद करने की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया गया।		की जाती है।			
28	शारीरिक शिक्षा अ. शा.	खेल प्रमाण पत्रों को लिखने एवं जॉच करने के लिये रूपये 20/– प्रति प्रमाण पत्र की दर स्वीकृत करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
29	अभियांत्रि की अ.शा.	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा वर्तमान में इलेक्ट्रोनिक्स एवं केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर तथा मास्टर्स डिग्री सम्बन्धी कोर्स संचालित किये जा रहे है।		प्रस्ताव अनुसार रू. 21,65,900 + टैक्सेज की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
33	सी.आई. एफ विभाग	उपकरणों के क्रय हेतु विभिन्न विदेशी फर्मो के भारतीय अधिकृत विक्रेताओं द्वारा निविदा भेजी गई है, जिनकी L.C. SBI के माध्यम से खोला जाना प्रस्तावित है। उक्त समस्त उपकरणों की अनुमानित कीमत लगभग रू. 70,00,000.00 (सत्तर लाख) है, राशि का भुगतान CIF के वर्ष 2017–18 में उपलब्ध राशि रू. 4,00,00,000.00 (चार करोड़) से किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में रू. 70,00,000.00 (सत्तर लाख) की वित्तीय स्वीकृति हेतु विचार किया गया।		आवश्यकतानुसार LC/INR में भुगतान हेतु रूपये 70.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
34	आजीवन शिक्षा प्रसार अ. शा.	आजीवन शिक्षा प्रसार एवं समाजकार्य अध्ययनशाला में केन्द्र प्रवर्तित शिक्षक शिक्षा योजना मद से राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा स्वीकृत अनुदान वर्ष 2016–17 में उपलब्ध लगभग 15,00,000/– धन राशि मे से रू. 2,59,000/– की धनराशि शिक्षक प्रशिक्षण दिनांक 18.07.2017 से 23.07.2017 (छः दिवसीय) के व्यय की स्वीकृति हेतु प्रमाण		प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।			

		प्रस्तुत है।					
36	हेल्थ सेंटर	जीवाजी विश्वविद्यालय के हेल्थ सेंटर (पंचकर्म सेंटर) हेतु उपकरण क्रय किये जाने पर विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
37	विकास	जीवाजी विश्वविद्यालय में कौशल विकास पाठ्यक्रम (Skill Development Courses) चालू करने पर विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
38	सी.आई. एफ विभाग	सी.आई.एफ. भवन में फर्नीशिंग कराये जाने पर रूपये 20 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति पर विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
39	लेखा / प्रशासन	नियमित कर्मचारियों के साथ पूर्व की भाँति 89 दिवसीय कर्मचारियों को भी सातवें वेतनमान का लाभ (मूल वेतन) कार्यपरिषद् से स्वीकृत किये जाने पर विचार किया गया।		प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे।			
40(अ-अ-3)	गोपनीय/ अकादमी	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में पंजीकृत श्री एस.एस. भण्डारी की पीएच.डी संबंधी प्रकरण पर चर्चाकर विचार किया गया।		उपरोक्तानुसार प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।			
40(अ-अ-4)	विधिक विभाग	जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से संबंधी विशेष लीगल प्रकरणों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति किये जाने पर विचार किया गया।		जीवाजी विश्वविद्यालय संबंधी माननीय उच्चतम न्यायालय हेतु विशेष विधिक प्रकरणों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया जाता है।			
40(अ-अ-7)	दूरस्थ शिक्षण संस्थान	दूरस्थ शिक्षण संस्थान के सम्बद्ध अध्ययनकेन्द्रों को अध्ययनकेन्द्रों की मान्यता सम्बन्धी गाईड लाईन में 200/- रूपये प्रति स्नातक छात्र एवं रूपये 300/- प्रति स्नातकोत्तर छात्र के हिसाब से केन्द्र व्यय के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान रहा है। उक्त प्रावधानानुसार विगत सत्रों में अध्ययनकेन्द्रों को भुगतान किया जाता रहा है। कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09.03.2016 के पद क्रमांक-21 पर लिये गये निर्णयानुसार छात्रों से प्राप्त शुल्क का 70 एवं 30 प्रतिशत के अनुपात में विश्वविद्यालय एवं अध्ययनकेन्द्रों के मध्य बाँटने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय से एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। इस कारण सत्र 2015-16 एवं 2016-17 का भुगतान आज तक लम्बित है। चूँकि, विश्वविद्यालय में कहीं भी अध्ययनकेन्द्रों		सत्र 2015-16 एवं 2016-17 का भुगतान रूपये 200/- प्रति स्नातक एवं रूपये 300/- प्रति स्नातकोत्तर छात्र के हिसाब से अध्ययनकेन्द्रों को किया जावे तथा सत्र 2017-18 से अनुमोदित रेग्यूलेशन में वर्णित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जावे।			

		को फीस के बटवारे का प्रावधान नहीं रहा है, अतः यह प्रस्तावित है कि, सत्र 2015–16 एवं 2016–17 का भुगतान पूर्ववत (रूपये 200/– प्रति स्नातक एवं रूपये 300/– प्रति स्नातकोत्तर छात्र) ही किया जावे तथा सत्र 2017–18 के पश्चात् अनुमोदित रेग्यूलेशन (नियम) के प्रावधानों के अनुसार व्यवस्था लागू रखी जावे।					
21.11.2017	--	--	--	--	--	--	--
02	गोपनीय /स्टोर	एल.एस.पी.एल., कलकत्ता फर्म के भुगतान के संबंध में विचार किया गया।		उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन संतोषजनक नही है, वस्तुतः समिति द्वारा प्रकरण में निविदा के संबंध में बरती गयी वित्तीय त्रुटियों को चिन्हित नहीं किया गया एवं संबंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा निविदाकार द्वारा की गई अपकृतियों एवं त्रुटियों के लिये दिये गये कारण बताओ सूचना पत्र एवं उनके प्राप्त उत्तरों पर भी विचार नही किया गया है। अतः गठित समिति में प्रो. आर.जे. राव के नाम के स्थान पर प्रो. ए.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समिति द्वारा समग्र रूप से विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर यह चिन्हित किया जावे कि, किस स्तर पर व्यक्तियों द्वारा अनियमिततायें बरती गयी है, तत्पश्चात् प्रतिवेदन परीक्षण उपरांत विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लिये गये निर्णय से कार्यपरिषद् को सूचित किया जायेगा।			
04	गोपनीय /स्टोर	प्री–एण्ड पोस्ट परीक्षा कार्य के संबंध में केन्द्रीय तकनीकी समिति/क्रय समिति की बैठक दिनांक 09.11.2017 में की गई अनुशंसा कार्यपरिषद के समक्ष विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार क्रय समिति द्वारा स्पष्ट अनुशंसा के अभाव में प्रकरण में निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लिया जाकर कार्यपरिषद को सकारण सूचित किया जावे।			
06	गोपनीय/ परीक्षा	परीक्षा शुल्क निर्धारण की स्वीकृति पर विचार किया गया।		प्रकरण में सत्र 2017–18 से संलग्न परिशिष्टानुसार परीक्षा शुल्क निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।			
10(अ–अ–2)	गोपनीय/ परीक्षा	परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा प्रस्तुत परीक्षा केन्द्रों की सूची की सूचना ग्रहण करने पर विचार किया गया।		परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण समिति से प्राप्त संलग्न परिशिष्टानुसार सूची की सूचना ग्रहण की जाती है।			
01	गोपनीय	परीक्षाओं व परीक्षा परिणामों की अव्यवस्थाओं को लेकर आये दिन अखबारों में लगातार खबरें प्रकाशित होती हैं इस प्रक्रिया में सुधार करने हेतु सैल प्रभारी (Valuation) का चयन कमेटी के माध्यम से किया जावे। इस कमेटी में कम से कम दो सीनियर प्रोफेसर		विभिन्न पाठ्यक्रमों की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन योग्य शिक्षकों द्वारा कराये जाने तथा परीक्षा नियंत्रक, संकायाध्यक्ष/विषय के अध्यक्ष से परामर्श कर शिक्षकों का एक पैनल तैयार कर कुलपति जी से अनुमोदन कराया जावे। परीक्षा नियंत्रक अध्यादेश का पूर्णतः से पालन करते हुये समय–समय पर परीक्षायें आयोजित कर एवं समय पर परीक्षा परिणाम घोषित कराने			

		विश्वविद्यालय के ही हों ताकि, परीक्षायें सही समय पर सुचारू रूप से संचालित हो सके। जिससे विश्वविद्यालय की छवि में सुधार किया जा सके।		हेतु निगरानी भी की जावे। साथ ही प्रस्ताव अनुसार उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य अर्हताधारी शिक्षकों से ही संपादित कराया जावे।			
10(अ–अ–5)	परीक्षा / गोपनीय	स्थायी समिति की विशेष बैठक दिनांक 13.11.2017 के कार्यविवरणों में पद क्रमांक–01 जो कि, सुश्री सपना ग्वाल एम.एस.–सी., रसायनशास्त्र अनुक्रमांक 955075 सत्र 2009–11 विषयक प्रायोगिक परीक्षाओं के संबंध में है, के अनुमोदन पर विचार किया गया।		स्थायी समिति द्वारा अपनी विशेष बैठक दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के कार्यविवरण में पद क्रमांक–01 पर की गई अनुशंसाओं को मान्य किया जाता है।			
10(अ–अ–6)	प्रशासन / लेखा	जीवाजी विश्वविद्यालय मे कार्यरत 89 दिवसीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने हेतु चर्चाकर विचार किया गया।		प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।			